3208/91-2-22

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–1552/11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, लखनऊ, दिनांकः नवम्बर 01 ,2022

सेवा में,

800(289)/2021

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद–अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायु में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133, दिनांक 16.06.2022 एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मेरठ का पत्रांक–1752/14–1, दिनांक 25.10.2022 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मेरठ ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि हापुड़ वन प्रभाग के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे के संरक्षण में आ रही संरक्षित वन भूमि 2.0342 हे0 एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त हुई है। पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में वन क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर के साथ यूपीडा के प्रतिनिधि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में हापुड़–गढ़ मार्ग (एन0एच0–24 नया एन0एच0–9) एवं अनुपशहर ब्रांच में बाधक वृक्षों की संख्या रिक्त दर्शायी गयी थी। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में गढ़–स्याना मार्ग के बाधक 839 वृक्ष/पौध को ही ऑन लाईन अपलोड किया गया था, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

तालिका–1

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	ग्राम, मार्ग का नाम कि0मी0	बाधक वृक्ष/पौधों की संख्या	क्षेत्रफल हे0 में		गजट नोटिफिकेशन संख्या
					संरक्षित	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हापुड	गढमुक्तेश्वर	भैना सदरपुर, स्याना–गढ मार्ग कि0मी0 40	दांयी पटरी 167 वृक्ष/259पौधें	0.5829	0.5829	1115/XIV-331-50 Dt. 10.02.1960
2				बांयी पटरी 162 वृक्ष/251पौधें	0.7973	0.7973	
3			हापुड–गढमुक्तेश्वर मार्ग	दांयी पटरी 0 वृक्ष/0 पौधें	0.216	0.216	
4				बांयी पटरी 0 वृक्ष			
5			अनुपशहर कैनाल	दांयी पटरी 0 वृक्ष/0 पौधें	0.438	0.438	4041/XIV-331-50 Dt. 15.02.1954
6				बांयी पटरी 0 वृक्ष/0 पौधें			
योग				329 वृक्ष/510 पौधें	2.0342	2.0342	

07/11/2022

Acy-1400

उक्त के उपरान्त प्रकरण में यूपीडा द्वारा अपने पत्रांक–46/वन/पी0आई0यू0/22 दिनांक 30.08.2022 द्वारा वन भूमि एवं गैर वन भूमि में बाधक वृक्षों/पौधों की गणना करने हेतु पुनः अनुरोध किया गया तथा श्री मोहत पाठक को संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण हेतु नामित किया गया है। जिसके क्रम में उपरोक्त स्थल का संयुक्त निरीक्षण करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

तालिका–2

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	ग्राम, मार्ग का नाम कि0मी0	बाधक वृक्ष/पौधों की संख्या	क्षेत्रफल हे0 में संरक्षित	क्षेत्रफल हे0 में कुल योग	गजट नोटिफिकेशन संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हापुड	गढमुक्तेश्वर	भैना सदरपुर, स्याना–गढ मार्ग कि0मी0 40	दांयी पटरी 167 वृक्ष/259पौधें	0.5829	0.5829	1115/XIV-331-50 Dt. 10.02.1960
2				बांयी पटरी 162 वृक्ष/251पौधें	0.7973	0.7973	
3			हापुड–गढमुक्तेश्वर मार्ग	दांयी पटरी 20 वृक्ष	0.216	0.216	
4				बांयी पटरी 24 वृक्ष			
5			अनुपशहर कैनाल	दांयी पटरी 29 वृक्ष/110 पौधें	0.438	0.438	4041/XIV-331-50 Dt. 15.02.1954
6				बांयी पटरी 55 वृक्ष/110 पौधें			
योग				**457 वृक्ष/730 पौधें**	**2.0342**	**2.0342**	

प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त संरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण हो चुका है, परन्तु अनूपशहर कैनाल तथा हापुड़–गढ़ मार्ग का संयुक्त निरीक्षण न होने के कारण हापुड़–गढ़ मार्ग की दांयी पटरी के 20 वृक्ष, बांयी पटरी के 24 वृक्ष तथा अनुपशहर कैनाल की दांयी पटरी के 29 वृक्ष/110 पौधे, बायी पटटी के 55 वृक्ष/110 पौधे अर्थात कुल 128 वृक्ष/220 पौधे पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में प्रेषित कर ऑनलाईन अपलोड नहीं किये जा सके है। इस संबंध में वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मेरठ के द्वारा अनूपशहर कैनाल हापुड़–गढ़ मार्ग की दांयी पटरी के 20 वृक्ष, बांयी पटरी के 24 वृक्ष तथा अनुपशहर कैनाल की दांयी पटरी के 29 वृक्ष/110 पौधे, बायी पटटी के 55 वृक्ष/110 पौधे अर्थात कुल 128 वृक्ष/220 पौधे के पातन हेतु ऑफ लाईन अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अतः वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मेरठ के उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न सहित इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– /11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद एवं प्रयागराज।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदायु, शाहजहॉपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं प्रतापगढ।
4. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0, एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1401

दूरभाष–0121–2664726
E-Mail cfmeeru...

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ–250001)

पत्रांक 1752 /14-1 दिनांक, मेरठ 25 ,अक्टूबर, 2022

सेवा में,

Ad.S.O.

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ccf/nodal
28/10/22

विषयः– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– 1–भारत सरकार की पत्र सं0–8 बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133, दिनांक 16.06.2022।
2–प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 1401/14–1, दिनांक 19.10.2022।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ ने अपने संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि हापुड़ वन प्रभाग के अन्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे के संरक्षण में आ रही संरक्षित वन भूमि 2.0342 हे0 एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त हुई है। पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में वन क्षेत्राधिकारी गढ़मुक्तेश्वर के साथ यूपीडा के प्रतिनिधि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में हापुड़–गढ मार्ग (एन0एच0–24 नया एन0एच0–9) एवं अनुपशहर ब्रांच में बाधक वृक्षों की संख्या रिक्त दर्शायी गयी थी। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में गढ़–स्याना मार्ग के बाधक 839 वृक्ष/पौध को ही ऑन लाईन अपलोड किया गया था, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

तालिका–1

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	ग्राम, मार्ग का नाम कि0मी0	बाधक वृक्ष/पौधों की संख्या	क्षेत्रफल हे0 में संरक्षित	क्षेत्रफल हे0 में कुल योग	गजट नोटिफिकेशन संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हापुड	गढमुक्तेश्वर	भैना सदरपुर, स्याना–गढ मार्ग कि0मी0 40	दांयी पटरी 167 वृक्ष/259पौधे	0.5829	0.5829	1115/XIV-331-50 Dt. 10.02.1960
2				बांयी पटरी 162 वृक्ष/251पौधे	0.7973	0.7973	
3			हापुड–गढमुक्तेश्वर मार्ग	दांयी पटरी 0 वृक्ष/0 पौधे	0.216	0.216	
4				बांयी पटरी 0 वृक्ष			
5			अनुपशहर कैनाल	दांयी पटरी 0 वृक्ष/0 पौधे	0.438	0.438	4041/XIV-331-50 Dt. 15.02.1954
6				बांयी पटरी 0 वृक्ष/0 पौधे			
योग				329 वृक्ष/510 पौधे	2.0342	2.0342	

उक्त के उपरान्त प्रकरण में यूपीडा द्वारा अपने पत्रांक 46/वन/पी0आई0यू0/22 दिनांक 30.08.2022 द्वारा वन भूमि एवं गैर वन भूमि में बाधक वृक्षों/पौधों की गणना करने हेतु पुनः अनुरोध किया गया तथा श्री मोहत पाठक को संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण हेतु नामित किया गया है। जिसके क्रम में उपरोक्त स्थल का संयुक्त निरीक्षण करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

E-Mail cfmeerut@gmail.com

तालिका–2

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	ग्राम, मार्ग का नाम कि0मी0	बाधक वृक्ष/पौधों की संख्या	क्षेत्रफल हे0 में संरक्षित	कुल योग	गजट नोटिफिकेशन संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हापुड	गढमुक्तेश्वर	भैना सदरपुर, स्याना–गढ मार्ग कि0मी0 40	दांयी पटरी 167 वृक्ष/259पौधें	0.5829	0.5829	1115/XIV-331-50 Dt. 10.02.1960
2				बांयी पटरी 162 वृक्ष/251पौधें	0.7973	0.7973	
3			हापुड–गढमुक्तेश्वर मार्ग	दांयी पटरी 20 वृक्ष	0.216	0.216	
4				बायी पटरी 24 वृक्ष			
5			अनुपशहर कैनाल	दांयी पटरी 29 वृक्ष/110 पौधें	0.438	0.438	4041/XIV-331-50 Dt. 15.02.1954
6				बायी पटरी 55 वृक्ष/110 पौधें			
योग				457 वृक्ष/730 पौधें	2.0342	2.0342	

प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़ वन प्रभाग हापुड़ द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त संरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण हो चुका है, परन्तु अनूशहर कैनाल तथा हापुड़–गढ़ मार्ग का संयुक्त निरीक्षण न होने के कारण हापुड़–गढ़ मार्ग की दांयी पटरी के 20 वृक्ष, बांयी पटरी के 24 वृक्ष तथा अनुपशहर कैनाल की दांयी पटरी के 29 वृक्ष/110 पौधे, बायी पटटी के 55 वृक्ष/110 पौधे अर्थात कुल 128 वृक्ष/220 पौधे पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में ऑनलाईन अपलोड नहीं किये जा सके है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अनूशहर कैनाल हापुड़–गढ़ मार्ग की दांयी पटरी के 20 वृक्ष, बांयी पटरी के 24 वृक्ष तथा अनुपशहर कैनाल की दांयी पटरी के 29 वृक्ष/110 पौधे, बायी पटटी के 55 वृक्ष/110 पौधे अर्थात कुल 128 वृक्ष/220 पौधे के पातन हेतु ऑफ लाईन अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नक :–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 1752 / दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(गंगा प्रसाद)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

o/c

2311949/2023/ -2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

Phone-0122-2300150 Fax-0122-2300150 E-mail-dfohapur@gmail.com

पत्रांक 1401 /14–1, दिनांक, हापुड़, 19 अक्टूबर, 2022।

रजिस्टर नं0 2409
फाईल नं0 14-1(A)
दिनांक 20/10/22

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त,
मेरठ।

विषय– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार की पत्र सं0–8 बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133, दिनांक 16.06.2022, इस कार्यालय का पत्राक– 582/14–1, दिनांक 01.09.2022, आपका पत्राक– 1589/14–1, दिनाक 12.10.2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक– 1354/14–1, दिनांक 13.10.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय वनाधिकारी, गढमुक्तेश्वर द्वारा अपने पत्रांक– 87/14–1, दिनांक 14.08.2021 द्वारा अवगत कराया कि यूपीडा द्वारा नियुक्त फॉरेस्ट कंसलटेन्ट मै0 एल0एन0 मालवीया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 भोपाल के माध्यम से अवगत कराया है कि फील्ड में किये गये संयुक्त सर्वेक्षण एवं जी0आई0एस0 मैपिंग के द्वारा प्राप्त वन क्षेत्रों के क्षेत्रफल में अन्तर है जिसका निदान किया जाना अतिआवश्यक है। जी0आई0एस0 मैपिंग के आधार पर हापुड वन प्रभाग के गढमुक्तेश्वर रेंज के अन्तर्गत किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार गढ–स्याना मार्ग कि0मी0 40 में बाधक वृक्ष वृक्षारोपण के पौधें एवं प्रभावित होने वाली संरक्षित वन भूमि का विवरण दिया गया। उक्त के अनुसार ही बाधक वृक्षों/पौधों को ऑनलाईन अपलोड किया गया है।

तालिका–1

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	ग्राम, मार्ग का नाम कि0मी0	बाधक वृक्ष/पौधों की संख्या	क्षेत्रफल हे0 में		गजट नोटिफिकेशन संख्या
					संरक्षित	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हापुड	गढमुक्तेश्वर	भैना सदरपुर, स्याना–गढ मार्ग कि0मी0 40	दांयी पटरी 167 वृक्ष/259 पौधें	0.5829	0.5829	1115/XIV-331-50 Dt. 10.02.1960
2				बांयी पटरी 162 वृक्ष/251 पौधें	0.7973	0.7973	
3			हापुड–गढमुक्तेश्वर मार्ग	दांयी व बांयी पटरी 0 वृक्ष/0 पौधें	0.216	0.216	
4			अनुपशहर कैनाल	दांयी व बांयी पटरी 0 वृक्ष/0 पौधें	0.438	0.438	4041/XIV 331 50 Dt. 15.02.1954

20/10/22
DM/A

क्र0सं0–2– पर

उक्त के उपरान्त प्रकरण में यूपीडा द्वारा अपने पत्रांक 46/वन/पी0आई0यू0/22 दिनांक 30.08.2022 द्वारा वन भूमि एवं गैर वन भूमि में बाधक वृक्षों/पौधों की गणना करने हेतु पुनः अनुरोध किया गया था तथा श्री मोहत पाठक को संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण हेतु नामित किया गया है। जिसके क्रम में उपरोक्त स्थल का संयुक्त निरीक्षण करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये :–

तालिका–2

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	ग्राम, मार्ग का नाम कि0मी0	बाधक वृक्ष/पौधों की संख्या	क्षेत्रफल हे0 में		गजट नोटिफिकेशन संख्या
					संरक्षित	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हापुड	गढमुक्तेश्वर	भैना सदरपुर, स्याना–गढ मार्ग कि0मी0 40	दांयी पटरी 167 वृक्ष/240 पौधें	0.5829	0.5829	1115/XIV-331-50 Dt. 10.02.1960
2				बांयी पटरी 162 वृक्ष/240 पौधें	0.7973	0.7973	
3			हापुड–गढमुक्तेश्वर मार्ग	दांयी पटरी 20 वृक्ष	0.216	0.216	
4				बांयी पटरी 24 वृक्ष			
5			अनुपशहर कैनाल	दांयी पटरी 29 वृक्ष/110 पौधें	0.438	0.438	4041/XIV-331-50 Dt. 15.02.1954
6				बांयी पटरी 55 वृक्ष/110 पौधें			

उपरोक्त से स्पष्ट है कि संरक्षित वन भूमि का हस्तानान्तरण पूर्व में ही हो चुका है तथा अनूपशहर कैनाल एवं हापुड़–गढ़मुक्तेश्वर मार्ग में बाधक 128 वृक्ष/220 पौधें ऑनलाईन अपलोड़ तालिका–1 में अंकित वृक्ष संयुक्त निरीक्षण में न होने के कारण नही हो पाए है। उक्त बाधक वृक्षों/पौधों के पातन हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

~~संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।~~

भवदीय,

(राजेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

पत्रांक 140/ 22–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि – मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अनुरोध सहित प्रेषित।

(राजेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@nic.in

पत्र सं0–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनॉक: 16.06.2022

सेवा में,

अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/144793/2021

विषयः उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 है0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 है0-संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 है0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 है0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भः सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–1146/81–2–2022–800(289)/2021, दिनांक–26.05.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक सं0–पी–350/81–2–2021–800(289)/2021, लखनऊ, दिनांक–22.12.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रकरण को दिनाक 01.06.2022 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक मे (REC Agenda item 66.4-UP) शामिल किया गया था। बैठक में प्रकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है। क्षेत्रीय सशक्त समिति की स्वीकृति उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा मे प्रभावित 1.68 है0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 है0 संरक्षित वनभूमि एव बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ मे प्रभावित 4.9257 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहॉपुर में प्रभावित 3.907 है0 संरक्षित वनभूमि एव बाधक 865 वृक्षो के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एव हरदोई में प्रभावित 4.0551 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 है0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 है0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधो के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.

2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.

3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area **of 94.4662 ha. (NFL)** non forest land in Districts Amroha, Hardoi, Unnao, Raibareily **and 62.00 ha. degraded forest land in District Chitrakoot** at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follows-

Sl. No.	Details of CA	CA proposed in Area (Ha)	Name of Forest Division
1.	Land of Revenue Department of compartment/Survey No.Nil, Village Daulatpur Janubi, Tehsil Hasanpur, District Amroha.	1.680 (NFL)	Amroha
2.	Gata No. 2797 of village Benhdarkhurd. Tehsil Sandila, District Hardoi	4.0552 (NFL)	Hardoi
3.	Khasara no. 849, 1075d mi, in Kaitholi Village, Tehsil Bangarmau, Dist- Unnao. Khasara no. 235, in Shankarpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 139 D, 132, 122, 142 Chha, in Godwa Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 149, 151, 159 Chha, 241, 247, 252 Kha, in Taalhee Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 1527, 1531 Kha, 462 K, 344, 448 G, 487, 506, 496, 1973, in Purthyawa Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao. Khasara no. 3880, 3881, 3935, 3934, 3917, in Rupau Village, Tehsil Unnao, Dist- Unnao. Khasara no.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Mi, 41, 42, in katari Majhara Bhikhna Village, Tehsil Unnao, Dist- Unnao. Khasara no.530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 K, 539 Kha, 540, 541, 542, 543 Mi, in Rouppur Chandela Ahatmali Village, Tehsil Saphipur, Dist- Unnao. Khasara no.395 K, 398, 393 Kha, 395 Kha, in Makhadumpur Village, Tehsil Hasanganj, Dist- Unnao.	61.5 (NFL) (30 है0 ऊसर भूमि एवं 31.5 है0 सामान्य भूमि)	Unnao
4.	Kota Kaindla Van Block (25.00 ha), Dadri Van Block (17.00 ha) & Kazipur Badausa in Karvi Range (20.00 ha) of Chitrakoot Forest Division	62.00 (DFL)	Chitrakoot
5.	Gata No. 11, 12, 51, 52, 61, 142, 144, 145, 147, 622, 624, 630, 633, 643, 644 & 645mi village Haripur, Tehsil Lalganj, District Raibareily	27.2310 (NFL)	Raibareily

4. The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval

5. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

6. The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009. **Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency** in this regard.

7. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

8. User agency shall restrict the felling of trees to 167166 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

9. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

10. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.

11. Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.

12. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.

13. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.

14. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

15. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

16. No labour camp shall be established on the forest land.

17. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

18. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

19. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

20. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

21. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

22. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

23. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.

24. Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetic Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.

25. Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest department.
26. Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is non forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.
27. The DFO shall certify that 1.68 ha. of non-forest land proposed for CA in Amroha district is contiguous to the Forest land.
28. The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/waterbodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by the concerned DFO.
29. The non forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.
30. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
31. Any other condition that the Ministry of Environment. Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation. protection and development of forests & wildlife.
32. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *(https://parivesh.nic.in/)*.
33. The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https://parivesh.nic.in/*

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government. proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act. 1980. by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

मवदीया,

(डॉ0प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एव नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, हापुड, अमरोहा, सम्भल, वदायूँ, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं प्रतापगढ।
5. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अँथारिटी, लखनऊ।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

15.06.2022

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट

वरिष्ठ प्रबन्धक (वन), यूपीडा के पत्र संख्या 4069 / 1832 / यूपीडा / 21 (वन) दिनांक 29.07.2021 के कम में इस वन प्रभाग की गढ़मुक्तेश्वर रेंज के अन्तर्गत यूपीडा के प्रतिनिधि श्री सुभम भैसारे व श्री अवनीश कुमार अग्निहोत्री, श्री राजेश कुमार (क्षेत्रीय वनाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर), श्री अरूण कुमार व0द0, श्री गौरव कुमार गर्ग व0द0 की उपस्थिति में गंगा एक्सप्रेसवे संरेखण में आ रहे स्याना–गढ़ मार्ग व हापुड़–गढ़मुक्तेश्वर रेलवे मार्ग पर बाधक वृक्षों एवं प्रभावित संरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में संयुक्त पुनः सर्वेक्षण कार्य किया गया, जिसमे 2.0342 है0 संरक्षित वन भूमि एवं 1190 वृक्ष / पौधे प्रभावित हो रहे है।

गंगा एक्सप्रेस–वे के संरेखण में प्रयुक्त हो रही संरक्षित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

क0 सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	ग्राम, मार्ग का नाम, कि0मी0	बाधक वृक्षों / पौधों की संख्या	क्षेत्रफल (है0 में) संरक्षित	क्षेत्रफल (है0 में) कुल योग	गजट नोटिफिकेशन संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	भैना सदरपुर, स्याना–गढ़ मार्ग कि0मी0 40	दॉयी पटरी 167 वृक्ष / 240 पौधे	0.5829	0.5829	115 / XIV-331-50 Dt. 10.02.1960
2				बॉयी पटरी 162 वृक्ष / 240 पौधे	0.7973	0.7973	
3			हापुड़–गढ़मुक्तेश्वर मार्ग	दॉयी व बांयी पटरी 0 वृक्ष / 0 पौधे	0.216	0.216	
4			अनुप शहर कैनाल	दांयी व बांयी पटरी	0.438	0.438	4041/XIV-331-50 Dt. 15.02.1954
		योग			2.0342	2.0342	

उक्त वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग गंगा एक्सप्रेस–वे के निर्माण में किया जाना अपरिहार्य है तथा वह यह ली जाने वाली वन भूमि परियोजना हेतु न्यूनतम है।

(शुभम भैसारे)
यूपीडा प्रतिनिधि

(अवनीश कुमार अग्निहोत्री)
यूपीडा प्रतिनिधि

(अरूण कुमार शर्मा व0द0)
सैक्सन अधिकारी
अनुभाग सिम्भावली

(गौरव कुमार गर्ग व0द0)
सैक्सन अधिकारी
अनुभाग बृजघाट

उप प्रभागीय वनाधिकारी

(राजेश कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
गढ़मुक्तेश्वर

2311949/2023/ -2

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (संशोधित)

जनपद हापुड़ में हापुड़ वन प्रभाग की गढ़मुक्तेश्वर रेंजान्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण में आने वाली आरक्षित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण आज दिनांक 25.08.2022 यूपीडा के प्रतिनिधि श्री भारत सिंह कंस्ट्रैक्सन मैनेजर व श्री करन सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर रेंज, श्री अरूण कुमार शर्मा वन दरोगा सिम्भावली की उपस्थिति में गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में आ रहे आरक्षित नहर पटरी/सड़क पटरी के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण किया गया।

क0सं0	प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	सड़क/नहर पटरी का नाम	बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या
1	हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	अनूपशहर ब्रांच नहर मील 54 की दोनो पटरी	**दायी पटरी** 29 वृक्ष 110 पौधे **बायी पटरी** 55 वृक्ष 110 पौधे
2	हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	राष्ट्रीय राजमार्ग–09 की दोनों पटरी	**दायी पटरी** 20 वृक्ष **बायी पटरी** 24 वृक्ष

(भारत सिंह)
कंस्ट्रैक्शन मैनेजर

(अरूण कुमार शर्मा)
वन दरोगा

(भूपेन्द्र सिंह)
वन रक्षक

SDO

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

(करन सिंह) 25/8/22
क्षेत्रीय वनाधिकारी
गढ़मुक्तेश्वर रेंज

2311949/2023/ -2

●हापुड़ वन प्रभाग की गढ़मुक्तेश्वर रेंजान्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण/निर्माण कार्य में अनूपशहर ब्रांच कैनाल मील 54 की दाई पटरी पर स्थित बाधक वृक्षों की सूची

क्र0सं0	कि0मी0 /मील	पटरी	प्रजाति	गो0 से0मी0 में	वर्ग ब्यास	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	54	दांयी	कंजी	54	1-2	हरा खड़ा
2	54	दांयी	कंजी	40	1-2	हरा खड़ा
3	54	दांयी	पापड़ी	55	1-2	हरा खड़ा
4	54	दांयी	पापड़ी	67	2-3	हरा खड़ा
5	54	दांयी	कंजी	38	1-2	हरा खड़ा
6	54	दांयी	पापड़ी	30	0-1	हरा खड़ा
7	54	दांयी	पापड़ी	75	2-3	हरा खड़ा
8	54	दांयी	बकैन	38	1-2	हरा खड़ा
9	54	दांयी	कंजी	49	1-2	हरा खड़ा
10	54	दांयी	कंजी	42	1-2	हरा खड़ा
11	54	दांयी	पापड़ी	50	1-2	हरा खड़ा
12	54	दांयी	पापड़ी	67	2-3	हरा खड़ा
13	54	दांयी	शीशम	70	2-3	हरा खड़ा
14	54	दांयी	बकैन	55	1-2	हरा खड़ा
15	54	दांयी	बकैन	36	1-2	हरा खड़ा
16	54	दांयी	पापड़ी	75	2-3	हरा खड़ा
17	54	दांयी	पापड़ी	57	1-2	हरा खड़ा
18	54	दांयी	जूली फ्लोरा	135	4-5	हरा खड़ा
19	54	दांयी	बकैन	50	1-2	हरा खड़ा
20	54	दांयी	कंजी	36	1-2	हरा खड़ा
21	54	दांयी	कंजी	40	1-2	हरा खड़ा
22	54	दांयी	बकैन	60	1-2	हरा खड़ा
23	54	दांयी	पापड़ी	80	2-3	हरा खड़ा
24	54	दांयी	कंजी	56	1-2	हरा खड़ा
25	54	दांयी	कंजी	45	1-2	हरा खड़ा
26	54	दांयी	कंजी	46	1-2	हरा खड़ा
27	54	दांयी	कंजी	35	1-2	हरा खड़ा

2311949/2023/ -2

28	54	दांयी	कंजी	66	2-3	हरा खड़ा
29	54	दांयी	कंजी	58	1-2	हरा खड़ा

BHARAT SINGH (CONSTRUCTION MANAGER)

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गढ़मुक्तेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

2311949/2023/ -2

सारांश दांयी पटरी

प्रजाति	0-1	1-2	2-3	4-5	योग
शीशम	-	-	1	-	**1**
बकैन	-	5	-	-	**5**
कंजी	-	12	1	-	**13**
पापड़ी	1	3	5	-	**9**
जूली फ्लोरा	-	-	-	1	**1**
योग	**1**	**20**	**7**	**1**	**29**

नोट :– उपरोक्त के अतिरिक्त 0–1 व्यास वर्ग के वर्ष 2021–22 वृक्षारोपण के 110 पौधे क्षतिग्रस्त होगें।

Const. Manager
for UPEIDA(L&T)

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

हापुड़ वन प्रभाग की गढ़मुक्तेश्वर रेंजान्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के

क्र0 सं0	कि0मी0 /मील	पटरी	प्रजाति	गो0 से0मी0 में	वर्ग ब्यास	स्थिति
1	54	बांयी	शीशम	55	1-2	हरा खड़ा
2	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	45	1-2	हरा खड़ा
3	54	बांयी	शीशम	55	1-2	हरा खड़ा
4	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	85	2-3	हरा खड़ा
5	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	95	3-4	हरा खड़ा
6	54	बांयी	पापड़ी	70	2-3	हरा खड़ा
7	54	बांयी	केरियासेमिया	65	2-3	हरा खड़ा
8	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	65	2-3	हरा खड़ा
9	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	90	2-3	हरा खड़ा
10	54	बांयी	पापड़ी	65	2-3	हरा खड़ा
11	54	बांयी	पापड़ी	40	1-2	हरा खड़ा
12	54	बांयी	पापड़ी	55	1-2	हरा खड़ा
13	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	130	4-5	हरा खड़ा
14	54	बांयी	पापड़ी	45	1-2	हरा खड़ा
15	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	165	5-6	हरा खड़ा
16	54	बांयी	पापड़ी	45	1-2	हरा खड़ा
17	54	बांयी	पापड़ी	50	1-2	हरा खड़ा
18	54	बांयी	पापड़ी	50	1-2	हरा खड़ा
19	54	बांयी	पापड़ी	40	1-2	हरा खड़ा
20	54	बांयी	शीशम	40	1-2	हरा खड़ा
21	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	70	2-3	हरा खड़ा
22	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	50	1-2	हरा खड़ा
23	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	55	1-2	हरा खड़ा
24	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	70	2-3	हरा खड़ा
25	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	160	5-6	हरा खड़ा
26	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	140	4-5	हरा खड़ा
27	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	50	1-2	हरा खड़ा
28	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	175	5-6	हरा खड़ा
29	54	बांयी	पापड़ी	40	1-2	हरा खड़ा
30	54	बांयी	पापड़ी	42	1-2	हरा खड़ा
31	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	120	3-4	हरा खड़ा
32	54	बांयी	पापड़ी	42	1-2	हरा खड़ा
33	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	155	5-6	हरा खड़ा
34	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	80	2-3	हरा गिरा

2311949/2023/ -2

35	54	बांयी	पापड़ी	45	1-2	हरा खड़ा
36	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	205	6-7	हरा खड़ा
37	54	बांयी	पापड़ी	30	0-1	हरा खड़ा
38	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	100	3-4	हरा खड़ा
39	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	62	2-3	हरा खड़ा
40	54	बांयी	कंजी	45	1-2	हरा खड़ा
41	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	50	1-2	हरा खड़ा
42	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	60	1-2	हरा खड़ा
43	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	180	5-6	हरा खड़ा
44	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	55	1-2	हरा खड़ा
45	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	50	1-2	हरा खड़ा
46	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	65	2-3	हरा खड़ा
47	54	बांयी	पापड़ी	60	1-2	हरा खड़ा
48	54	बांयी	पापड़ी	45	1-2	हरा खड़ा
49	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	170	5-6	हरा खड़ा
50	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	60	1-2	हरा खड़ा
51	54	बांयी	कंजी	38	1-2	हरा खड़ा
52	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	195	6-7	हरा खड़ा
53	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	70	2-3	हरा खड़ा
54	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	60	1-2	हरा खड़ा
55	54	बांयी	जूलीफ्लोरा	40	1-2	हरा खड़ा

Consu. Manager
RW UPRIDA

क्षेत्रीय वनाधिकारी

C.S

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

सारांश बाई पटरी

प्रजाति	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	योग
शीशम	-	3	-	-	-	-	-	**3**
कंजी	-	2	-	-	-	-	-	**2**
केसियासेमि	-	-	1	-	-	-	-	**1**
पापड़ी	1	13	2	-	-	-	-	**16**
जूलीफ्लोरा	-	11	9	3	2	6	2	**33**
योग	**1**	**29**	**12**	**3**	**2**	**6**	**2**	**55**

नोट :– उपरोक्त के अतिरिक्त 0–1 व्यास वर्ग के वर्ष 2021–22 वृक्षारोपण के 110 पौधे क्षतिग्रस्त होगें।

Bharat
Constr. Manager
For UPEIDA

C.S

C/S

वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

2311949/2023 हापुड़ वन प्रभाग की गढ़मुक्तेश्वर रेंजान्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण/निर्माण कार्य में दिल्ली–मुरादाबाद मार्ग कि0मी0 73 की दाई पटरी पर स्थित बाधक वृक्षों की सूची

क्र0 सं0	कि0मी0 /मील	पटरी	प्रजाति	गो0 से0मी0 में	वर्ग ब्यास	स्थिति
1	73	दांयी	पिलखन	130	4-5	हरा खड़ा
2	73	दांयी	जामुन	82	2-3	हरा खड़ा
3	73	दांयी	शीशम	100	3-4	हरा खड़ा
4	73	दांयी	पिलखन	110	3-4	हरा खड़ा
5	73	दांयी	शीशम	150	4-5	सूखा खड़ा
6	73	दांयी	जामुन	50	1-2	हरा खड़ा
7	73	दांयी	बबूल	110	3-4	हरा खड़ा
8	73	दांयी	पिलखन	95	3-4	हरा खड़ा
9	73	दांयी	जामुन	60	1-2	हरा खड़ा
10	73	दांयी	पिलखन	130	4-5	हरा खड़ा
11	73	दांयी	पिलखन	138	4-5	हरा खड़ा
12	73	दांयी	पिलखन	110	3-4	हरा खड़ा
13	73	दांयी	शीशम	50	1-2	हरा खड़ा
14	73	दांयी	पिलखन	150	4-5	हरा खड़ा
15	73	दांयी	पिलखन	135	4-5	हरा खड़ा
16	73	दांयी	जामुन	80	2-3	हरा खड़ा
17	73	दांयी	पिलखन	110	3-4	हरा खड़ा
18	73	दांयी	जामुन	55	1-2	हरा खड़ा
19	73	दांयी	पिलखन	165	5-6	हरा खड़ा
20	73	दांयी	पिलखन	160	5-6	हरा खड़ा

Constr. Manager
For UPEIDA

क्षेत्रीय वनाधिकारी
गढ़मुक्तेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

\Users\Dell\Downloads\bharast bhushan\Tree List (Ganga Expressway)

सारांश दाई पटरी

प्रजाति	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	योग
शीशम	1	-	1	1	-	**3**
बबूल	-	-	1	-	-	**1**
पिलखन	-	-	4	5	2	**11**
जामुन	3	2	-	-	-	**5**
योग	**4**	**2**	**6**	**6**	**2**	**20**

Const. Manager
For UPEIDA

C.S

वनाधिकारी
वन प्रभाग
हापुड़

2311949/2023/ -2

हापुड़ वन प्रभाग की गढ़मुक्तेश्वर रेंजान्तर्गत गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण/निर्माण कार्य में दिल्ली–मुरादाबाद मार्ग कि0मी0 73 की बाई पटरी पर स्थित बाधक वृक्षों की सूची

क्र0 सं0	कि0मी0 /मील	पटरी	प्रजाति	गो0 से0मी0 में	वर्ग ब्यास	स्थिति
1	73	बांयी	कंजी	95	3-4	हरा खड़ा
2	73	बांयी	शीशम	95	3-4	हरा खड़ा
3	73	बांयी	शीशम	90	2-3	हरा खड़ा
4	73	बांयी	कंजी	75	2-3	हरा खड़ा
5	73	बांयी	जामुन	35	1-2	सूखा खड़ा
6	73	बांयी	बकैन	60	1-2	हरा खड़ा
7	73	बांयी	शीशम	80	2-3	हरा खड़ा
8	73	बांयी	जामुन	30	0-1	हरा खड़ा
9	73	बांयी	कंजी	62	2-3	हरा खड़ा
10	73	बांयी	कंजी	39	1-2	हरा खड़ा
11	73	बांयी	शीशम	65	2-3	हरा खड़ा
12	73	बांयी	पिलखन	65	2-3	हरा खड़ा
13	73	बांयी	कंजी	60	1-2	हरा खड़ा
14	73	बांयी	कंजी	95	3-4	हरा खड़ा
15	73	बांयी	शीशम	100	3-4	हरा खड़ा
16	73	बांयी	पिलखन	90	2-3	हरा खड़ा
17	73	बांयी	शीशम	80	2-3	हरा खड़ा
18	73	बांयी	जामुन	50	1-2	हरा खड़ा
19	73	बांयी	पिलखन	90	2-3	हरा खड़ा
20	73	बांयी	शीशम	30	0-1	हरा खड़ा
21	73	बांयी	कंजी	42	1-2	हरा खड़ा
22	73	बांयी	कंजी	35	1-2	हरा खड़ा
23	73	बांयी	जामुन	70	2-3	हरा खड़ा
24	73	बांयी	कंजी	65	2-3	हरा खड़ा

Const. Manager
for UPEIDA

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गढ़मुक्तेश्वर

C.S

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

\Dell\Downloads\bharast bhushan\Tree List (Ganga Expressway)

सारांश बाई पटरी

प्रजाति	0-1	1-2	2-3	3-4	योग
शीशम	1	-	4	2	**7**
बकैन	-	1	-	-	**1**
कंजी	-	4	3	2	**9**
पिलखन	-	-	3	-	**3**
जामुन	1	2	1	-	**4**
योग	**2**	**7**	**11**	**4**	**24**

Cont Manager
for UPEIDA

C.S

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग
हापुड़

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 3108 /11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, लखनऊ, दिनांकः मार्च 28 ,2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद–अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमिएवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमिएवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमिएवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वनभूमिएवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वनभूमिएवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायु में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमिएवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वनभूमिएवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वनभूमिएवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमिएवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133, दिनांक 16.06.2022, पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/232, दिनांक 13.07.2022, उ0प्र0 शासन का पत्रांक–3208/81–2–2022–800(289)/2021, दिनांक 06.01.2023, इस कार्यालय का पत्रांक–2791/11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, दिनांक 01.03.2023, पत्रांक–1552/11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, दिनांक 01.11.2022 तथा आपका पत्रांक–9301/ 1832/यूपीडा/22(वन), दिनांक 24.03.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01.11.2022 के द्वारा प्रकरण में हापुड़ वन प्रभाग के अंतर्गत बाधक अतिरिक्त 128 वृक्षों/220 पौधों के पातन की अनुमति हेतु ऑफलाइन प्रस्ताव उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0, एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24.03.2023 के द्वारा विषयगत प्रकरण में अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06.01.2023 के क्रम में उपलब्ध न होने के कारण उ0प्र0 शासन स्तर से निर्माण कार्य में बाधक हापुड़ वन प्रभाग के 128 वृक्षों/220 पौधों के पातन अनुमति निर्गत करने की संस्तुति भारत सरकार से नहीं की गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06.01.2023 के द्वारा वांछित बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 01.03.2023 के द्वारा भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन को पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है, जिसके पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 3108 /11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं वन संरक्षक, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद एवं प्रयागराज।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदायु, शाहजहॉपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं प्रतापगढ।
3. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0, एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c

Acy-399

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2791/11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, लखनऊ, दिनांकः ~~फरवरी~~ मार्च 01 ,2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषयः– उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद–अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायु में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वनभूमिएवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमिएवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133, दिनांक 16.06.2022, पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/232, दिनांक 13.07.2022, मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्रांक–3518/14–10–4, दिनांक 01.02.2023, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, मेरठ का पत्रांक–2941/14–1, दिनांक 20.01.2023, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, प्रयागराज का पत्रांक–2121/15–1, दिनांक 19.01.2023, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद का पत्रांक–1773/14–1, दिनांक 09.12.2022 तथा पत्रांक–1317/14–1, दिनांक 28.10.2022 एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली का पत्रांक–1759/14–1, दिनांक 29.11.2022 एवं पत्रांक–1416/14–1, दिनांक 21.10.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के उपरोक्त पत्रांक–3518/14–10–4, दिनांक 01.02.2023, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0, मेरठ के उपरोक्त पत्रांक–2941/14–1, दिनांक 20.01.2023, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, प्रयागराज के उपरोक्त पत्रांक–2121/15–1, दिनांक 19.01.2023, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद के उपरोक्त पत्रांक–1773/14–1, दिनांक 09.12.2022 तथा पत्रांक–1317/14–1, दिनांक 28.10.2022 एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली के उपरोक्त पत्रांक–1759/14–1, दिनांक 29.11.2022 एवं पत्रांक–1416/14–1, दिनांक 21.10.2022 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक की धनराशि एड–हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्रों की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर पेनड्राइव सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार (पेनड्राइव सहित)।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2791 /11–सी–FP/UP/Road/144793/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार (पेनड्राइव सहित)।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं वन संरक्षक, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद एवं प्रयागराज।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, हापुड़, अमरोहा, सम्भल, बदायु, शाहजहॉपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं प्रतापगढ।
3. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0, एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-277